

समक्ष-राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या-07

उपस्थित

अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ : श्री सचिन कुमार,
ए0सी0जे0एम0/षष्टम अपर सिविल जज, सी0डि0
देहरादून।

सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ : श्री उपेन्द्र सिंह, पैनल अधिवक्ता,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।

अधिनिर्णय

उपरोक्त मामले में अभियुक्त की ओर से जुर्माना धनराशि को कंपाउंडिंग के तहत ऑनलाईन जमा रसीद पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है तथा उक्त ऑनलाईन जमा रसीद के आधार पर मामले के निस्तारण की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रस्तुत रसीद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के द्वारा ऑनलाईन जुर्माना अदा कर दिया गया है, जिसकी रसीद पत्रावली पर संलग्न है। अतः उपरोक्त मामले को कम्पाउंडिंग के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

सदस्य के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर, अध्यक्ष

(श्री उपेन्द्र सिंह)

पैनल अधिवक्ता

(श्री सचिन कुमार)
षष्टम अपर सिविल जज, सी0डि0/ ए0सी0जे0एम0
देहरादून

